

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर सलुम्बर

प्रार्थी श्री नाथु

कस्म मुकदमा धारा-111, 128 भू-राजस्व अधिनियम

विपक्षी डुंगरी व अन्य

प्रकरण संख्या 64/2024

कार्यवाही विवरण

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा साठोदडा पटवार हल्का शेषपुर तहसील झल्लारा खाता संख्या 52 आराजी नम्बर 1235, 1236, 1237, 1238 कुल किता 4 रकबा 0.15 हैक्टर भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार रबी की फसल कटाई के बाद पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु पत्थर मय मजदूर खडडा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार को उपलब्ध करवाएं। तथा पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ.नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार झल्लारा के नाम जारी की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर करे।

निर्णय दिनांक ०८/०५/२५ को सरे ईजलास सुनाया गया।



(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
सद उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर
सलुम्बर